उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 (पी0ए0) अपील वाद सं0 48/2021–22

भैरो राय.....अपीलकर्त्ता

बनाम

कोशल राय.....उत्तरकारी

आदेश

18.03.2022

यह रे0मि0 (पी0ए0) अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–148/2006–07 में पारित आदेश दिनांक–13.09.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

(1) मौजा बुढ़वाडंगाल एक प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा को गेंजर प्रधान लाडू राय पे0 श्यामलाल राय थे।

(2) मौजा के प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु दाखिल आवेदन के क्रम में अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में विषमताएँ है। पत्रांक–654/रा0 दिनांक–28.08.2021 द्वारा समर्पित में अपीलकर्त्ता के पूर्वज शिवचरण राय को पूर्व प्रधान लाडू राय के जेष्ठ पुत्र दर्शाया गया है, जबकि पत्रांक–717/रा0 दिनांक–11.09.2021 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उत्तरकारी के पूर्वज फूलचन्द्र राय को पूर्व प्रधान लाडू राय का जेष्ठ पुत्र दर्शाया गया है।

(3) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेख है कि उत्तरकारी के पूर्वज फूलचन्द्र राय पूर्व प्रधान के जेष्ठ पुत्र है, के संबंध में संबंध तीन व्यक्तियों का ब्यान लिया गया, किन्तु उनका हस्ताक्षर नहीं लिया गया है। जो Evidence Act 1872 के Sec 138 के अनुकूल नहीं है।

(4) अंचल अधिकारी का दोनो प्रतिवेदन में प्रधान नियुक्त हेतु अनुशंसा नहीं किया गया है।

(5) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा संथाल परगना कास्तकारी (पूरक) रूल्स 1950 के रूल 13 को अनुपालन किये बिना ही

उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

निष्कर्ष

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में दर्शाया गया वंशावली में विषताएँ है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि दोनेा पक्ष में कौन पूर्व प्रधान के जेष्ठ वंशज है। उनके द्वारा जाँच प्रतिवेदन में इसका सही ऑकलन नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि जाँच S.P.T (Supplementary) Rules 1950 रूल 13 के (b) के अनुकूल नहीं है, जो निम्न प्रकार उल्लेख है :–

3(b) :- himself processed to the spot and make such local enquiry in person such a case shall draw up a memo random of locat inspection.

अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा भी तथ्यों पर गौर किये बिना ही उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया जो नियमसंगत नहीं है तथा रद्द करने योग्य है।

आदेश

उल्लेखित तथ्य एवं कानूनी प्रावधानों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को इस निदेश के साथ पूर्नविचारार्थ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षों के वंशावली के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रधान की नियुक्ति किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित

13/3/22
उपायुक्त,
दुमका।

13/3/22
उपायुक्त,
दुमका।

57 DBdt 14/3/22

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.06 12:09:37 +05:30
Location: 169.254.227.244